जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 12.03.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आज खूंटी के नगर पंचायत भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें गांवों के ग्राम प्रधान, मुखिया, जिला परिषद् के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख एवं समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया। उक्त बैठक पत्थरगड़ी के विकृत स्वरूप एवं लोगों को दिग्भ्रमित करने तथा विधि–व्यवस्था खराब करने के हो रहे प्रयास पर परिचर्चा की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त, खूंटी श्री सूरज कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज की इस सभा में मुंडा समाज के अनेक वक्ताओं ने सांवैधानिक पहलुओं को जिस स्पष्टता से रखा, सबके लिए यह आष्चर्य की बात है। इन बुद्धिजीवियों ने स्वयं संविधान की धाराओं को उद्धृत करते हुए लोगों को बताया कि पत्थरगड़ी में संविधान की आधी–अधूरी बातें लिखकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। साथ ही जनजातीय समाज में पारंपरिक रूप से किये जा रहे पत्थरगड़ी की प्रकारों के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त ने स्वयं भी उपस्थित सदस्यों को संविधान के भाग 2, अनुच्छेद 5, 10, 11, 12, 13, 13(3), 19, 19(5) एवं 19(6) तथा पांचवीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के मौलिक अधिकारों तथा राज्य एवं कार्यकारी शक्त्यिों के बारे में में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि संविधान के इन प्रावधानों को जानने के बाद यह संदेह नहीं होना चाहिए की आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। आप खुद इसका निर्णय ले सकते हैं। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम के तहत् ग्राम सभा की परिभाषा के अंतर्गत देष के ग्रामीण आते हैं जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में आता है। मतदाता सूची में नाम होने का प्रमाण आपका वोटर कार्ड है। बिना वोटर कार्ड के ग्राम सभा का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आधार कार्ड की महत्ता आज सर्वाधिक है। पत्थरगड़ी की आड़ में उनके द्वारा अपना करेंसी जारी करने, प्रत्येक व्यक्ति को बीस–बीस लाख देने को हास्यास्पद बताया। उन्होंने असामाजिक तत्वों द्वारा सरकार की विकास योजनाओं को रोकने पर कहा कि वे स्वयं अच्छी नौकरी करते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वे सरकार प्रदत्त सुविधाएं भी ले रहे हैं लेकिन आम जनता को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों को उनकी इस मंषा को समझने को कहा। वे आपको पुनः समाज के आदिम स्वरूप की ओर ले जाना चाहते हैं। उपायुक्त ने कहा कि पत्थरगड़ी करने वाले गांव को नषा से मुक्त, अषिक्षा दूर करने, गांवों को अंधविष्वासों से दूर करने की बात नहीं करते। जिला प्रषासन आपके विकास के लिए कटिबद्ध है। जिला प्रषासन बिना आपकी संस्कृति से छेड़छाड़ किये विकास में कदम से कदम मिलाकर कार्य करेगी। आपके द्वारा ग्रामसभा के माध्यम से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा हम सभी मिलकर ताकि खूंटी को एक विकसित जिला के रूप में खड़ा कर सकें। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को सभी ग्राम प्रधान, मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं समाज के बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा जिसमें पत्थरगड़ी को विकृत स्वरूप देने वालों को भी उपायुक्त ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे भी अपनी बातें रखकर स्पष्ट करें। पत्थरगड़ी

होना चाहिए नषामुक्त ग्राम का, स्वच्छ ग्राम का, समृद्ध ग्राम का हो। उपायुक्त ने कहा कि खूंटो जिला को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की दिषा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने जनता के सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आपके सहयोग से अगले चार महीने में चौबीस घंटे बिजली वाला जिला बनाया जाएगा। विद्युत एजेंसियों को स्पष्ट निदेष दिये गए हैं कि सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में कार्य करने को कहा जिन गांवों में पत्थरगड़ी की गई है। उन्होंने कुछ ग्रामों में पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाये जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि वे इसकी महत्ता को समझें तथा बच्चों को पल्स पोलियो पिलायें ताकि बच्चे एक स्वस्थ नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि वे भी राज्यपाल की अधिसूचना से ही उपायुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं और सतत् प्रयास से ही असामाजिक तत्वों की मंषा पर पानी फेरकर विकास किया जा सकता है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक खूंटी ने कहा कि वर्तमान स्वरूप जो पत्थरगड़ी का है वह पत्थरगड़ी का विकृत रूप है। मुण्डारी संस्कृति के मूल परम्परा के आड़ में संविधान के अनुच्छेदों का गलत व्याख्या कर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इससे सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा, बच्चों को षिक्षा से वंचित तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच अधिक दिनों तक टिकने वाला नहीं है। जीत हमेषा सत्य की होती है। आज भले लोगों को गुमराह कर लें परन्तु हमेषा लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आदिवासी भोले होते हैं परन्तु यह कतई नहीं कि वे बुद्धिमान नहीं होते। लोगों के सहयोग से ऐसी ताकतों को खत्म किया जाएगा। 15 वर्ष माओवाद एवं उग्रवाद का प्रभाव इस क्षेत्र में रहा। आपने एवं पुलिस प्रषासन ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, तब जाकर इससे बहुत हद तक राहत मिली है। असामाजिक तत्वों द्वारा गांधी–इरविन समझौता का हवाला देकर फिर से परतंत्रता, का गुलामी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। विकास की गति को पीछे ढकेलकर, अफीम की खेती की जा रही है। यह पूरी तरह समाज को, आपके वंष को खत्म करने की साजिष है। उनकी उन साजिषों समझें। उन्होंने अपील की कि सही बातों को समझें एवं गांव जाकर लोगों को समझाएं। इस वर्ष भी अफीम की खेती की गई है जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसके चपेट में आने के बाद पूरी नस्ल तबाह हो सकती है। इसके लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है। आप प्रषासन को सहयोग करें, हम कार्रवाई अवष्य करेंगे। ग्राम सभा, विधायिका, एवं प्रषासन एक दूसरे को सहयोग करें तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि खूंटी वीरों की भूमि, खेल–खिलाड़ियों की भूमि एवं महानुभवों की भूमि रही है। परन्तु कुछ लोग यहां की जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्थरगड़ी का प्रारंभिक स्वरूप एवं वर्तमान स्वरूप में काफी अंतर आ गया है। उनके द्वारा अनुच्छेदों के साथ लोगों को योजनाओं के विरूद्ध उकसाने वाली बातों का उपयोग किया गया है। यह बहुत बड़ी साजिष है। सरकार का प्रयास योजनाओं का लाभ सही लोगों को देने का है। भगवान बिरसा मुण्डा ने शोषण, अषिक्षा, नषाखोरी के विरूद्ध आंदोलन किया था जबकि पत्थरगड़ी की आड़ में कुकृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुण्डा संस्कृति उत्कृष्ट संस्कृति है। इसे विकसित करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा

है। कोई भी योजना जो ग्राम सभा अनुमोदित करके देती है उसी का क्रियान्वयन किया जाता है। दूसरी बात कि असामाजिक तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि ग्राम सभा में जिला प्रषासन, राज्य या देष का कानून नहीं चलगा। जिला प्रषासन या पुलिस प्रषासन आपकी सुरक्षा एवं आपके विकास के लिए है। असामाजिक तत्वों द्वारा यहां की जो समृद्ध परम्परा है उसे प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे लोग आपकी संस्कृति एवं आपका अस्तित्व समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अफीम की खेती करवाकर वे जमीन ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ी को भी समाप्त करने पर तुले हैं। जो संविधान की गलत व्याख्या कर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं वे लाखों रूपये की नौकरी करते हैं। हमें जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना आवष्यक है। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की आवष्यकता है। सरकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है।

पूर्व में ग्राम प्रधान जिउरी श्री बिनसाय मुण्डा ने कहा कि वर्तमान में जो पत्थरगड़ी की जा रही है वह पारंपरिक पत्थरगड़ी से भिन्न है तथा पत्थरगड़ी की आड़ में संविधान की गलत व्याख्या कर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन्हें सरकार के विकास योजनाओं से वंचित करने की कोषिष की जा रही है। हम सभी पत्थरगड़ी के इस स्वरूप का विरोध करते हैं। श्री मंगल सिंह मुण्डा ने कहा कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा इस बात से पता चलता है कि वे सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को जला देने, सरकार की मुद्रा को नहीं लेने, उनके विकास योजनाओं को नहीं लेने की बात करते हैं। यह कहीं से हमारे लिए मान्य नहीं है। श्री भीम सिंह मुण्डा, पूर्व जिला परिषद ने कहा कि इस प्रकार की समस्याओं के तह तक जाकर ही इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने पत्थरगड़ी की पारंपरिक प्रथाओं के बारे में विस्तार से बताया तथा जिला प्रषासन के साथ मिल बैठकर समस्याओं के समाधान करने को कहा। श्री दामु मुण्डा ने कहा कि आदिवासी महासभा द्वारा जो पत्थरगड़ी की जा रही है, उन्हें संविधान के अनुच्छेदों को पूर्ण रूप से अंकित करना चाहिए ताकि जनता के बीच भ्रम की स्थिति न रहे। यदि कोई कानून में संषोधन की जरूरत है तो जनाजतीय सलाहकार परिषद् के साथ बैठकर तथा राज्यपाल के अनुमोदन कर पारित करना चाहिए। बैठक में नौरी पूर्ति, जॉन कच्छप, उप प्रमुख जितेन्द्र कच्छप, सुषील सांगा आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संविधान प्रस्तावना का शपथ लिया गया। मौके पर नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय, थाना प्रभारी खूंटी के कई वरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, खूंटी, प्रमुख खूंटी, उप प्रमुख खूंटी एवं विभिन्न गांव के ग्राम प्रधान मुखिया आदि उपस्थित थे।